संख्या: 12 / XXIV(6)/2009

प्रेषक:

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
ए 46 शांति पथ, तिलक नगर,
जयपुर।

शिक्षा अनुभाग 6 देहरादून दिनांक 12 अक्टूबर, 2009

विषयः— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पाठ्यकमों में के राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक—F.NRC/NCTE/F-7/UR-207/2008/68257 दिनांक 17 जनवरी, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है बाबा फरीद कालेज ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, सुद्दोवाला झाझरा, विकास नगर, देहरादून की संस्था को आगामी शैक्षिक सत्र 2009—2010 से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यकम संचालित करने हेतु शासन द्वारा अनापत्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :—

(1) संस्था द्वारा शासन, विश्वविद्यालय तथा महामहिम कुलाधिपति द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का पालन किया जाना होगा।

(2) संस्था द्वारा उक्त पाठ्यकम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) संस्था की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकर नही होगा, बशर्ते कि ऐसा किसी अधिनियम में ही न उल्लिखित हो।

(4) संस्था द्वारा छात्रों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा तथा पाठ्यकम प्रारम्भ करने से पूर्व मानकों के अनुसार अर्ह फैकल्टी ही नियुक्त की जानी होगी।

(5) संस्था के पास भूमि—भवन, कार्यशील पूंजी तथा अन्य निर्धारित मानको के पूर्ण होने पर ही अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, मानकों में शिथिलीकरण का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

(6) बी0एड0 पाठ्यकम प्रारम्भ करने हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित भूमि आवश्यक होगी।

G.O. Letter 93

(7) संस्था के पास निजी भूमि पर भवन का निर्माण करने के लिए अपने ही संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। छात्रों से शुल्क लेकन भवन तैयार करने की योजना ठीक नहीं है।

(8) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व सभी आधारभूत सुविधायें -कम्प्यूटर रूम, पूर्णतया सुसज्जित पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल तथा क्रीड़ा सम्बन्धी सुविधाएं होनी चाहिए यदि सभी मानक पूर्ण नहीं है तो अनापत्ति एन0सी0टी0ई0 के अनुमोदन के लिए मान्य नहीं होगी। यदि अनापत्ति के आधार पर एन0सी0टी0ई0 अनुमोदन भी दिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा तभी सम्बद्धता के लिए संस्तुति की जायेगी जब सारे मानक पूरे हो।

(9) बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का बिना शर्त अनुमोदन तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं शासन की व्यवस्थानुसार शुल्क के निर्धारण के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) किसी भी संस्था को बी0एड0 पाठ्यक्रम इण्टमीडिएट स्तर तक कालेज में चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(11) यह अनापत्ति सम्बन्धित सोसाइटी/ट्रस्ट के रजिस्टर्ड होने पर ही मान्य होगी।

कृपया अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 120 (1)/XXIV(6)/2009/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव